

18/08/2024 पञ्जावली प्रस्तुत। मूल अपील का
निर्णय है जाम से पार्थना-पत्र का
कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
अतः पञ्जावली कुल्ले श्रुमार देकर
नम्बर से काम घेते हुए शकिल
उफतर घे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

